**<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>**
**<u>14.02.2026</u>**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 12.02.2026 को राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड (एक सार्वजनिक सूचीबद्ध इकाई) के खिलाफ धोखाधड़ी से संबंधित चल रही जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा को 13.02.2026 को पीएमएलए की माननीय विशेष अदालत, मुंबई के समक्ष पेश किया गया, और माननीय अदालत ने पीएमएलए के तहत आगे की जांच के लिए ईडी को **8 दिनों** की हिरासत में भेज दिया।

यह गिरफ्तारी मुंबई पुलिस द्वारा राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी, आधिकारिक पद का दुरुपयोग, संपत्तियों की अनधिकृत बिक्री और फर्जी दस्तावेज बनाकर मेसर्स लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड को 100 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाने के आरोप में बीएनएस 2023 (आईपीसी के समकक्ष) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है।

ईडी की जांच में पता चला कि राजेंद्र नरपतमल लोढ़ा, निदेशक मंडल की मंजूरी के बिना, कंपनी के स्वामित्व वाली अचल संपत्तियों को कम मूल्य पर अपने से जुड़े प्रॉक्सी संस्थाओं और व्यक्तियों को अनधिकृत बिक्री और हस्तांतरण के माध्यम से मेसर्स लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड के धन और परिसंपत्तियों के गबन/हेरफेर में शामिल थे। वह भूमि खरीद के लिए मनगढ़ंत समझौता ज्ञापनों (एमओयू) बनाने में भी शामिल था, जिसके तहत उसने बढ़ी हुई कीमत पर भूमि खरीदी और बाद में विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ी हुई राशि को नकद के रूप में निकाल लिया, जिससे कंपनी के धन का दुरुपयोग हुआ। जांच में पता चला कि राजेंद्र लोढ़ा ने अपने संबंधित व्यक्तियों, सहयोगियों और संस्थाओं के साथ मिलकर धोखाधड़ी से संपत्ति जमा की, जिससे मेसर्स लोढ़ा डेवलपर्स लिमिटेड को अनुचित रूप से नुकसान हुआ।

इससे पहले, जांच के दौरान, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 12.11.2025 को मुंबई क्षेत्र के 14 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान, लगभग 88 करोड़ रुपये की चल संपत्ति, जिसमें नकद, बैंक बैलेंस और एफडी शामिल थे, साथ ही विभिन्न अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और कई करोड़ रुपये की अचल संपत्ति का विवरण जब्त/फ्रीज किया गया था, जिससे चल रही जांच के संबंध में महत्वपूर्ण सबूत मिले।

आगे की जांच हो रही है।